न्यायालय, न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी

मंझौल, बेगूसराय

रेणु देवी बनाम बैजनाथ महतो वग़ैरह

नालसी वाद संख्या- 71 सी/2021

दिनांक- 08.12.2022

अभिलेख आदेश हेतु नियत है। परिवादिनी की हाज़िरी, पैरवी है। वाद का पुकार हुआ। पुकार पर परिवादिनी अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुई।

आदेश

परिवादिनी को समन के बिंदु पर सुना। तत्पश्चात अभिलेख आदेश हेतु रखा गया। परिवादिनी ने यह वाद **1.बैजनाथ महतो , 2. परमिला देवी 3. ममता देवी 4. विपिन महतो, 5. बिट्टू महतो, 6.समता देवी, 7.विक्रम महतो, 8.सोनी देवी, 9.बिट्टू की पत्नी, 10.अनिल साहनी, 11. राधा देवी 12.विशाखा देवी सहित 12 मुदालय** के विरुद्ध किया है। परिवादिनी का मामला परिवादिनी के शपथ पर बयान के अनुसार संक्षेप में यह है कि परिवादिनी घटना के दिन व समय अपने दुकान पर जा रही थी। बैजनाथ का परिवार रास्ते मे शीशा, गन्दा पानी फेंक देता है। परिवादिनी के मना करने पर बैजनाथ एवं अनिल के परिवार के लोग घर मे घुस गए एवं मारपीट गाली गलौज किये। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता समन पर सुनवाई के क्रम में कहते हैं कि तीनो जाँच साक्षी ने परिवादी के बयान का पूर्ण रुप से समर्थन किया है। सभी अभियुक्तगण परिवादी के साथ मारपीट में सम्मिलित रहे। अतः उपरोक्त सभी अभियुक्त के विरुद्ध धारा 323, 341, 354B, 379, 448, 427, 504, 506, 147, 148, 149 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अभियुक्तों पर कार्यवाही की जाए।

सुना, अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादी का सशपथ बयान एवं 3 साक्षियों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। परिवादी ने अपने सशपथ बयान में कहा है कि जब वह अपने दुकान पर जा रही थी। बैजनाथ का परिवार रास्ते मे शीशा, गन्दा पानी फेंक देता है। परिवादिनी के मना करने पर बैजनाथ एवं अनिल के परिवार के लोग घर मे घुस गए एवं मारपीट गाली गलौज किये। मारने वालों में बैजनाथ, परमिला, विपिन, बिट्टू महतो, विक्रम महतो अनिल साहनी थे।

परिवादिनी के बयान, तीनो जाँच साक्षियों के साक्ष्य एवं अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि परिवादिनी एवं मुदालयगण पड़ोसी है, गली में गन्दा पानी, काँच फेंके जाने की बात पर दोनों पक्षों में विवाद हुआ। उसी के क्रम में बक झक मारपीट हुआ। उक्त तथ्यों के आलोक में न्यायालय **बैजनाथ महतो, परमिला देवी, विपिन महतो, बिट्टू महतो, विक्रम महतो, अनिल साहनी के विरुद्ध धारा 323,504** भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार हैं। अभियोजन के साक्षियों की सूची परिवादपत्र में फाइल की गई है।

अतः परिवादिनी को आदेश दिया जाता है कि 14 दिन के भीतर समन की अपेक्षिताएं न्यायालय में दाखिल करें। तत्पश्चात कार्यालय अभियुक्तगण की हाजिरी के लिए समन जारी करें।

न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी

मंझौल, बेगूसराय

Edit with WPS Office